हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 18

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 2.00 बजे (अपराह्न) आरम्भ हुई।

1. <u>प्रश्नोत्तर</u>

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 69 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्री द्वारा उनके उत्तर दिये गए।

<u>अध्यक्ष के उद्‌गार</u>

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित उद्‌गार प्रस्तुत किए गएः-

"माननीय मुख्य मंत्री जी तिरूपति बाला जी दर्शन करके आये हैं। इनको बहुत-बहुत बधाई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री

दुर्घटना के बाद सुरक्षित हैं, इसके लिए हम आपको शुभ कामनायें देते हैं"।

तत्पश्चात स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 71 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 373 से 376 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 377 से 419 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 59 से 69 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. <u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. <u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कोष नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःफिन(टीआर)ए (3)11/2004-शिमला-9 दिनांक 23.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.10.2017 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018

जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-2/2014 दिनांक 03.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.03.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16(विलम्ब के कारणों सहित)।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

"मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज सायं 7.00 बजे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एच.आई.बी./एड्स रोकथाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन होटल पीटरहॉफ, शिमला में किया जा रहा है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह इस कार्यशाला में अवश्य उपस्थित होने की कृपा करें।"

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री जगत सिंह नेगी** ने नियम-62 के अन्तर्गत "**हाल ही में प्रदेश में असामाजिक तत्वों द्वारा दर्जनों विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़े जाने**" बारे **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए अनुरोध किया कि पिछली सरकार के समय टूटी उदघाटन पट्टिकाओं का पता लगा कर उन्हें भी पुनःस्थापित किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने चर्चा में शामिल होते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की-

"वैसे तो आपने उत्तर दे दिया है परन्तु अगर किसी शिलान्यास की पट्टिका को किसी स्टोर में रखा हुआ होगा तो उसके लिए भी आप आदेश देंगे कि वह निकाल करके ठीक जगह पर लगा दी जाए क्योंकि हमारे यहां तो ऐसा ही हुआ है?"

श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा श्री जगत सिंह नेगी, सदस्यों ने स्पष्टीकरण पूछे।

माननीय मुख्य मत्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री राकेश पठानिया** ने नियम-62 के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2018 को अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक **"के0सी0सी0 बैंक में भी पांच 'नीरव', 120 करोड़ दबाए"** बारे **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने उत्तर दिया।

6. <u>विधायी कार्य</u>

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापनाः

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

"हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5)" पुरःस्थापित हुआ।

सदन की बैठक 4.04 बजे अपराह्न मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।